भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 487

दिनांक 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता

487. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टैरिफ में छूट, बाजार पहुंच और निवेश के प्रावधान सहित इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं,

(ख) एफटीए के बाद से न्यूज़ीलैंड को भारत के निर्यात और न्यूज़ीलैंड से आयात का अद्यतन डेटा क्या है और माल और सेवाओं की अद्यतन मात्रा और मूल्य में क्षेत्रवार क्या परिवर्तन हुए हैं;

(ग) वस्त्र, चमड़ा, अभियांत्रिकी के सामान, भेषज, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर देखा गया अनुमानित प्रभाव क्या है और कितनी निर्यात वृद्धि और रोज़गार सृजन होने का अनुमान है;

(घ) क्या एमएसएमई किसानों, कारीगरों और सेवा प्रदाताओं के लिए प्रारंभिक लाभ या चुनौतियों का कोई आकलन किया गया है तथा इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या काला नमक चावल जैसे जीआई टैग वाले उत्पाद को टैरिफ में कमी या शुल्क-मुक्त अभिगम से लाभ होगा, और चावल तथा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर छूट क्या है, निर्यात संवर्धन के उपाय क्या हैं और समझौते के आईपीआर प्रावधानों के अंतर्गत जीआई टैग की संरक्षा क्या है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर 2025 को भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (आईएन-एनजेड एफटीए) के लिए वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न की। **यह समझौता वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं और निवेश के व्यापार, उत्पत्ति के नियमों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और व्यापार सुगमता, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों और आर्थिक सहयोग के साथ-साथ अन्य सहयोग-आधारित तत्वों को कवर करता है।** समझौते की प्रमुख विशेषताएं **अनुलग्नक-I** में वर्णित हैं।

(ख) चूंकि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए एफटीए के बाद भारत द्वारा न्यूजीलैंड को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात से संबंधित क्षेत्रवार आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 में, द्विपक्षीय पण्यवस्तु लगभग 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि वर्ष 2024 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार लगभग 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

(ग) भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत, भारत को समझौते के लागू होने की तिथि से भारत की सभी टैरिफ लाइनों पर 100% शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्राप्त होगी। एफटीए से कपड़ा, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, समुद्री उत्पाद, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यात को बेहतर बाजार पहुंच और शुल्क-मुक्त व्यवहार के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ मिलने की प्रत्याक्षा है। इस समझौते से विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा मिलने, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होने और रोजगार सृजन होने की प्रत्याक्षा है।

(घ) यह प्रत्याक्षा है कि यह समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके, विनियामक पारदर्शिता बढ़ाकर और कृषि, बागवानी आदि क्षेत्रों में न्यूजीलैंड द्वारा विस्तारित कौशल मोबिलिटी, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग को सुगम बनाकर लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों, कारीगरों और सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त लाभ प्रदान करेगा। समझौते के लागू होने के बाद प्रारंभिक लाभों और चुनौतियों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

(ड.) और (च) न्यूजीलैंड ने सभी भारतीय निर्यातों को कवर करते हुए, सभी टैरिफ लाइनों पर 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की है। तदनुसार, जीआई-टैग वाले उत्पादों, जिनमें काला नमक चावल, साथ ही चावल और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद शामिल हैं, को न्यूजीलैंड के बाजार में शून्य शुल्क पर पहुँच उपलब्ध होंगी। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भौगोलिक संकेत पर न्यूजीलैंड द्वारा साईड लेटर में दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार, संबंधित प्रावधानों की सफल समीक्षा और आईपीआर अध्याय के धारा ड़ (भौगोलिक संकेत) में किए गए बदलावों के पूरा होने के बाद, काला नमक चावल सहित भारतीय जीआई समझौते के आईपीआर प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 03.02.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 487 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

1. वस्तुओं का व्यापार:

- न्यूजीलैंड ने भारत के 100% निर्यात पर **शुल्क-मुक्त** बाजार पहुंच का प्रस्ताव किया है, जबकि भारत ने **द्विपक्षीय व्यापार के लगभग 95% हिस्से** को कवर करने वाली **70.03%** टैरिफ लाइनों पर टैरिफ उदारीकरण का प्रस्ताव किया है, जबकि **29.97% टैरिफ लाइनों को बहिष्करण** में रखा है और केवल 30% टैरिफ लाइनों पर तत्काल उन्मूलन (ईआईएफ) का प्रस्ताव दिया है। इससे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा उत्पाद, कालीन, मिट्टी के बर्तन, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद आदि जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों और फार्मास्यूटिकल, रसायन, इंजीनियरिंग आदि में भारतीय उत्पादों के लिए तत्काल प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात के बढ़ते अवसर सुनिश्चित होते हैं।
- भारत द्वारा बाजार पहुंच से बाहर रखे गए उत्पाद में मुख्य रूप से हैं – डेयरी उत्पाद (दूध, क्रीम, मट्ठा, योगर्ट, पनीर आदि), पशु उत्पाद (भेड़ के मांस के अलावा), वनस्पति उत्पाद (प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम आदि), चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा और तेल, हथियार और गोला-बारूद, रत्न और आभूषण, तांबा और उससे बनी वस्तुएं (कैथोड, कारतूस, छड़, बार, कॉइल आदि), एल्युमीनियम और उससे बनी वस्तुएं (पिंड, बिलेट, तार की छड़ें) शामिल आदि।

2. सेवाओं में व्यापार और मोबिलिटी:

- न्यूजीलैंड ने लगभग **118 सेवा क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों** में बाजार पहुंच संबंधी प्रतिबद्धताओं और लगभग **139 क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों** में **मोस्ट-फेवर्ड नेशन (एमएफएन)** संबंधी प्रतिबद्धताओं का विस्तार किया है, जिनमें भारतीय हित के मुख्य क्षेत्रों जैसे कंप्यूटर संबंधी सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
- यह समझौता भारतीय पेशेवरों के लिए **अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मार्ग** के माध्यम से कुशल मोबिलिटी में सुधार भी प्रदान करता है, जिसमें **5,000 वीजा** का कोटा और **तीन साल** तक का प्रवास शामिल है।

- **छात्र मोबिलिटी और अध्ययन के बाद कार्य** के लिए एक समर्पित मार्ग निगमित किया गया है, जो **भारतीय छात्रों पर संख्यात्मक सीमा को हटाता है, अध्ययन अवधि के दौरान प्रति सप्ताह कम से कम 20 घंटे काम करने की गारंटी** देता है और **एसटीईएम स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए तीन साल तक और डॉक्टरेट स्नातकों के लिए चार साल** तक अध्ययन के बाद कार्य के अवसर प्रदान करता है, जिससे भारतीय छात्रों के कौशल विकास और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को बढ़ावा मिलता है।

- यह समझौता प्रतिवर्ष **1,000** युवा भारतीयों के लिए **12 महीने** की वैधता वाले बहु-प्रवेश कार्य अवकाश वीजा के माध्यम से युवा मोबिलिटी को और बढ़ावा देता है, जिससे वैश्विक अनुभव, कौशल विकास और लोगों के बीच आपसी संबंध को बढ़ावा मिलता है।

- **भारत ने न्यूजीलैंड को 106 सेवा क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में बाजार पहुंच की प्रतिबद्धता और 45 सेवा क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन)** का दर्जा देने की प्रतिबद्धता का विस्तार किया है।

3. **निवेश:**

- न्यूजीलैंड ने **15 वर्षों** में भारत में **20 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता की है, जिससे विनिर्माण, अवसंरचना, नवाचार और रोजगार सृजन को सहायता मिलेगी।

4. **कृषि सहयोग:**

- यह समझौत **कीवी फल, सेब और शहद पर समर्पित कृषि-प्रौद्योगिकी कार्य योजनाओं** की स्थापना का प्रावधान करता है, उत्पादकता वृद्धि, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान सहयोग, गुणवत्ता सुधार और मूल्य श्रृंखला विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि घरेलू क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और भारतीय किसानों की आय वृद्धि में सहयोग किया जा सके।

5. फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए तीव्र विनियामक प्रक्रिया:

यह एफटीए समकक्ष विनियामक से जीएमपी (बेहतर विनिर्माण परिपाटी) और जीसीपी (बेहतर नैदानिक परिपाटी) की स्वीकृति को सक्षम बनाकर फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए पहुँच को सुगम बनाता है, जिसमें यूएस एफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए, हेल्थ कनाडा और अन्य समकक्ष विनियामकों द्वारा अनुमोदन शामिल है। इससे दोहराव वाले निरीक्षण कम होंगे, अनुपालन लागत घटेगी और उत्पाद अनुमोदन में गति आएगी, जिससे बाजार पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड को भारत के फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात में वृद्धि होगी।

****